an>

Title: Need to amend the SDRF rules for the welfare of farmers in the country particularly in Rajasthan.

श्री बहादुर सिंह कोली (भरतपुर): अध्यक्ष महोदया, राजस्थान की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड (एसडीआरएफ) के नियमों के अनुसार कृषि आदान अनुदान सहायता केवल 50 प्रतिशत से अधिक फसल खराब वाले किसानों को ही दी जाती है। राजस्थान प्रदेश में ओलावृष्टि, पाला एवं शीतलहर आदि आपदाओं से फसल कई बार खराब हो जाती है। इन आपदाओं के पश्चात् बहुत से किसानों की फसलों में 50 प्रतिशत से कम नुकसान होता है और उन किसानों को कोई सहायता नहीं दी जाती है।

अतः मेरा सदन के माध्यम से अनुरोध है कि एसडीआरएफ नियमों में परिवर्तन कर जिन किसानों का 50 प्रतिशत से कम नुकसान प्राकृतिक आपदाओं से फसल का होता है, उन्हें भी सहायता उपलब्ध कराई जाए।

माननीय अध्यक्ष : श्री लालूभाई बाबूभाई पटेल। - उपस्थित नहीं।